कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

—:0 आदेश 0:—

क्रमांक / 86 / सां.लि. / COVID-19 / 2022 दन्तेवाड़ा दिनांक 12 / 01 / 2022

राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय—समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी । उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर निम्नांकित अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक सोनी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :—

1. दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग—अनलोडिंग की अनुमति होगी । पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे ।

2 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होंगे । फूड की होम डिलीवरी 11.00 बजे तक किया जा सकेगा ।

3 नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11.00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिय संचालित हो सकेंगे ।

4 दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक / सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अन्त्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला—मंडई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा ।

5 छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564 / स.सा.प्र.वि. / 2021, दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम तहसील कार्यालय / थाना / नगरपालिका कार्यालय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा । कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित किया जाना अनिवार्य होगा ।

6 दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत सभी शासकीय / अशासकीय शिक्षण संस्थान (जिसमें कोचिंग ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित), आंगनबाड़ी केन्द्र, लाईब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे । वेक्सीनेशन कार्य हेतु 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है । कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

... 2 ...

7 सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा । उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नगरपालिका प्रशासन/थाना प्रभारी अधिकृत होंगे । अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

8 दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत अंतर्गत सभी मॉल, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा ।

9 रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड पर राज्य से बाहर आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैंपलिंग/टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पड़ेगा ।

10 यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड–19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा । रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा ।

11 यदि किसी क्षेत्र में कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

12 विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

13 समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा । सभी व्यावसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क/सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे । उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

14 निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट में अपडेट करेंगे ।

15 समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करें ।

16 दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला में कोरोना वायरस (कोविड–19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध (क्वारंटीन) एवं ईलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक् समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथ कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

आज. दिनांक 12 जनवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(दीपक सोनी)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./ 87 /सां.लि./COVID-19/2022 दन्तेवाड़ा दिनांक 12/01/2022

प्रतिलिपि :–

1 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2 सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
3 सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4 पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
5 कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
6 पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर ।
7 पुलिस महानिरीक्षक (आप्स.) सी.आर.पी.एफ. दन्तेवाड़ा ।
8 पुलिस अधीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
10 अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11 सर्व विभाग /कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
12 अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
13 अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी. कॉम्पलेक्स बचेली/ किरन्दुल
14 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
15 सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
16 सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
17 सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
18 सहायक संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
19 नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856–252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा